राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1889/2010/जोधपुर.
2. अपील संख्या – 1890/2010/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, जोधपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स दिनेश पाउचेज लिमिटेड, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री राजेन्द्र जैन, अधिकृत प्रतिनिधि ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/07/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 17 व 18/आरएसटी/जेयूसी/06–07 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 10.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी कम्पनी (जिसे आगे **'कम्पनी'** कहा जायेगा) के द्वारा वर्ष 2001–02 व 2002–03 के दौरान संग्रहित विलासिता कर मय ब्याज राशि क्रमशः रूपये 4,85,02,547/– व रूपये 5,61,09,647/– को राजकोष में जमा करवाये जाने बाबत् जारी किये गये आदेश दिनांक 28.04.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश अपास्त किये हैं।

2. इन दोनों अपीलों के तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः दोनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कम्पनी द्वारा जर्दायुक्त पान मसाला (गुटखा) का निर्माण कर विक्रय किया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान टैक्स ऑन लग्ज़री टैक्स (टोबेको एण्ड इट्स प्रोडक्ट्स) एक्ट, 1994 (जिसे आगे **'विलासिता अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 4 के तहत अधिसूचना संख्या एफ.04(42)एफडी/डिवी./98–2 दिनांक 03.01.2011 द्वारा जर्दायुक्त पान–मसाला (गुटखा) पर 8 प्रतिशत से विलासिता कर लागू किया

लगातार..............2

गया। कम्पनी द्वारा विलासिता अधिनियम के तहत पंजीयन प्राप्त कर अधिसूचना अनुसार लग्ज़री टैक्स ग्राहकों से संग्रहित कर जमा करवाया जाना प्रारम्भ किया गया। राज्य में तम्बाकू एवं इसके उत्पादों पर कर लगाये जाने के विरूद्ध **मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड** द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर तम्बाकू को लग्ज़री मानते हुए लगाये जाने वाले कर की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी थी जिसमें अनुसूची–II की प्रविष्ठि संख्या 62 के तहत परिभाषित लग्ज़री के तहत तम्बाकू एवं इसके उत्पादों को सम्मिलित करने को आक्षेपित किया गया था, उस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन दिये जाने पर राजस्थान की फर्म मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज करते हुए राजस्थान में भी उत्तरप्रदेश की तरह तम्बाकू पर आरोपित किये गये लग्ज़री टैक्स को चुनौती दी गयी थी, तब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी लग्ज़री टैक्स को वसूल करने पर रोक लगा दी गयी थी इसी सन्दर्भ में उक्त कम्पनी द्वारा भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 3518 / 2001 प्रस्तुत की गयी तब माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.09.2001 को कम्पनी के पक्ष में विलासिता कर की वसूली पर स्थगन आदेश प्रदान कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के क्रम में दिनांक 28.08.2001 से बिक्री बिलों में विलासिता कर का संग्रहण करना बंद कर दिया गया। इस तरह कम्पनी द्वारा दिनांक 03.01.2001 से लागू किये गये विलासिता कर को अपने ग्राहकों से दिनांक 27.08.2001 तक वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया परन्तु बाद में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के आलोक में कर संग्रहण बंद कर दिया गया।

4. तम्बाकू एवं इसके उत्पादों पर लग्ज़री टैक्स लगाये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत याचिका के प्रकरण **गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश पिटिशन नं0 (सी) 567 / 1994 निर्णय दिनांक 20.01.2015** में यह निर्णीत किया गया कि राज्यों को तम्बाकू पर लग्ज़री के रूप में कर लगाये जाने के अधिकार नहीं हैं क्योंकि तम्बाकू को लग्ज़री उत्पाद नहीं माना गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कम्पनी की याचिका संख्या 3518 / 2001 में निर्णय दिनांक 21.04.2005 पारित करते हुए विलासिता कर के आरोपण को अविधिक घोषित किया गया इस तरह राज्य सरकार द्वारा तम्बाकू एवं इसपर बनाये गये अधिनियम एवं ज़ारी अधिसूचनायें अविधिक होने से उस पर कर आरोपणीय नहीं रहा।

लगातार..............3

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका में सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से यह प्रार्थना की गई थी कि व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं में अन्तरिम आदेश प्राप्ति के बाद भी उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों से कर की जो वसूली की गयी है उसे प्रतिधारित (Retain) नहीं करने के आदेश दिये जावे क्योंकि ऐसा नहीं किया जाना व्यवसायी के हित में unjust enrichment होगा। इस तर्क को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए यह निर्देश अपने आदेश में दिये गये कि :–

> "It was stated on behalf of the state government that, after obtaining interim order from this court against recovery of luxury tax, the appellants continued to charge such tax from consumers/customers. It is alleged that they did not pay such tax to respective state governments. It was therefore submitted that if the appellants are allowed to retain the amounts collected by them towards luxury tax from consumers, it would amount to unjust enrichment" by them.
>
> In our opinion the submission is well founded and deserved to be upheld. **If the appellant have collected any amount towards luxury tax from consumers/costumers after obtaining interim order from the court, they will pay the said amount to the respective state government."**

6. उक्त आदेश के अनुक्रम में ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कर जमा कराये जाने सम्बन्धी आदेश दिये गये जिसमें यह निर्देश थे कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही पालना की जाये।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देशानुसार एकत्रित कर को जमा कराये जाने के क्रम में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 28.04.2006 को कम्पनी को एक विस्तृत आदेश के जरिये पत्र के रूप में यह आदेश दिया गया कि दिनांक 28.08.2001 के बाद की गयी बिक्री पर चूंकि माल का मूल्य नहीं घटाया गया था अतः इस मूल्य में लग्ज़री टैक्स का अंश भी सम्मिलित होना माना जाता है अर्थात् (deemed) किया जाता है एवं इस deeming अवधारणा के तहत कम्पनी की पूरी बिक्री पर लग्ज़री टैक्स संग्रहित किया जाना मानते हुए उसे राजकोष में मय ब्याज जमा कराने के आदेश दिये गये।

लगातार..............4

8. उक्त आदेश दिनांक 28.04.2006 के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया कि कम्पनी द्वारा दिनांक 27.08.2001 तक जो कर ग्राहकों से संग्रहित (collect) किया गया है वह "कर" माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जमा कराना अनिवार्य है एवं वह राशि कम्पनी अपने पास Retain नहीं कर सकती है एवं यह निर्णय दिया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2001 के बाद जब कम्पनी द्वारा कर संग्रहित नहीं किया गया है उसे केवल इस आधार पर कि व्यवहारी द्वारा मूल्य को नहीं घटाया गया था, अतः कर का संग्रहण माना गया वह अनुचित एवं अविधिक है। इस तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त किया गया।

9. उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 10.03.2010 के विरूद्ध राजस्व की ओर से यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

10. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 28.08.2001 से लग्ज़री टैक्स की वसूली बिलों में अलग से नहीं दर्शाई गई है परन्तु कम्पनी द्वारा जारी बिलों में दिनांक 27.08.2001 के बाद भी उसके विक्रय मूल्य में कोई कमी नहीं की गयी थी अतः यह माना जाने योग्य है कि कम्पनी द्वारा कर को बिना दर्शाये ग्राहकों से वसूल किया जाता रहा है अतः इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो अवधारणा ली गयी है वह विधिसम्मत है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में इस लग्ज़री टैक्स का संग्रहण माना जाकर उसे कम्पनी के पास रखे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

11. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने यह तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लग्ज़री टैक्स की वसूली पर रोक लगा दी गयी थी परन्तु व्यवसायी द्वारा उपभोक्ताओं से लग्ज़री टैक्स की राशि को कीमत में समाहित कर वसूल की जाना इस आधार पर प्रतीत होता है कि उनके द्वारा दिनांक 27.08.2001 के बाद भावों में कोई कमी नहीं की गयी थी इससे यह प्रमाणित होता है कि लग्ज़री टैक्स का भाग कम्पनी ने ग्राहकों/उपभोक्ताओं को Pass on किया था तथा कर दायित्व को व्यवसायी ने बिल बनाने के समय बिल में नहीं दर्शाया गया था परन्तु वास्तव में इसे विक्रय राशि में सम्मिलित करते हुए ग्राहकों से वसूल किया गया था अतः इसे संग्रहित कर मानते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप राजकोष में मय

ब्याज जमा कराने के जो आदेश कर निर्धारण अधिकारी ने दिये हैं वह विधिसम्मत हैं अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

12. प्रत्यर्थी कम्पनी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का निर्णय पूर्ण विवेचना के साथ एवं प्रत्येक तथ्य एवं न्यायिक निर्णय को अंकित करते हुए पारित किया गया है वह पूर्णतया विधिसम्मत है एवं इसमें कोई त्रुटि कारित नहीं होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि किये जाने का अनुरोध किया।

13. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह केवल इस आधार पर पारित किया है कि कम्पनी द्वारा माल के मूल्यों में दिनांक 27.08.2001 के बाद कोई कमी नहीं की गयी थी फलतः जो भी राशि ग्राहकों से वसूल की गयी है वह दिनांक 27.08.2001 की पूर्ववत् राशि के समान होने से लग्ज़री टैक्स की वसूली मानी जावे। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में स्वयं ने उनके दिये गये स्पष्टीकरण पर बिना कोई ध्यान दिये मनमाने तरीके से भावों के आधार पर कर का संग्रहण माना है जबकि कम्पनी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान करने के पश्चात् यह स्पष्ट रूप से माना था कि वे लग्ज़री टैक्स का संग्रहण नहीं कर सकते एवं इसलिए उनके द्वारा लग्ज़री टैक्स का संग्रहण नहीं किया गया। उन्होंने कथन किया कि जहां तक लग्ज़री टैक्स ग्राहकों से विक्रय मूल्य में संग्रहित करने से सम्बन्ध है उसमें यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि कम्पनी द्वारा ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं से एक विशिष्ठ राशि के रूप में ही विक्रय राशि ली जाती रही है एवं किसी भी तरह का कर लगाने या अन्य खर्चे आने पर उसका वहन स्वयं द्वारा किया जाता रहा है। इसका स्पष्ट साक्ष्य यह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.01.2001 को जब कर लगाया गया था तब पूर्व में दिनांक 02.01.2001 को भी माल की मूल्य राशि वही वसूल की जा रही थी जो दिनांक 03.01.2001 के बाद भी वसूल की गयी। उन्होंने कथन किया कि दिनांक 03.01.2001 के बाद कर आरोपित हो जाने पर भी कम्पनी द्वारा भावों में कुल विक्रय राशि में बढ़ोतरी नहीं कर अपने विक्रय मूल्य को घटाते हुए अर्थात् अपने लाभ का अंश घटाते हुए विक्रय राशि को घटाकर उस पर कर की वसूली बिलों में करते हुए अन्तिम रूप से वही राशि ली जाती रही जो कर आरोपणीय होने से पूर्व वसूल की जाती रही है। इसके उपरान्त पुनः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लग्ज़री टैक्स पर स्थगन आदेश प्राप्त होने पर लग्ज़री टैक्स की वसूली ग्राहकों

लगातार..............6

से बंद कर दी गयी एवं विक्रय राशि पर कोई प्रभाव नहीं दिया गया अर्थात् पुनः कम्पनी का लाभ उसी अनुसार प्राप्त हुआ जो दिनांक 03.01.2001 के पूर्व प्राप्त हो रहा था। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के एवं बिलों में किसी तरह का कर संग्रहित नहीं करने के बावजूद भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की आड़ में कम्पनी का कर वसूलना बताया गया है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि कुछ व्यवसायियों द्वारा अन्तरिम आदेश के दौरान भी कर की वसूली पृथक से की जा रही थी ऐसी स्थिति में वह कर उन व्यवसायियों के पास Retain नहीं रह सकता क्योंकि ऐसा किया जाना unjust enrichment होगा तब माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्देश दिये कि व्यवसायियों द्वारा जो कर ग्राहकों से संग्रहित किया गया है वह राशि राजकोष में जमा कराई जावे एवं इसीलिये इस कम्पनी द्वारा दिनांक 03.01.2001 से निरन्तर 27.08.2001 तक जो लग्ज़री कर वसूल किया था वह राजकोष में जमा करवाया जा चुका था अतः दिनांक 28.08.2001 के बाद जो कर संग्रहित नहीं किया गया है वह केवल भावों के आधार पर वसूली माना जाना अविधिक एवं अनुचित होने से कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त योग्य था अतः अपीलीय आदेश से अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं है एवं इस आधार पर राजस्व की अपीलें खारिज योग्य हैं।

14. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष लेखा—पुस्तकें एवं बिलों की पूरी स्थिति प्रस्तुत की गयी थी जो पूर्व में कर निर्धारण अधिकारी को भी दी गयी थी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में बिलों की पूरी विगत अंकित करते हुए चार्ट में बताया गया कि दिनांक 01.01.2001; दिनांक 05.01.2001; दिनांक 27.08.2001 एवं दिनांक 28.08.2001 में प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा किसी भी तरह के बाजार मूल्य में अन्तर नहीं किया गया, इस तरह बाजार मूल्य समान रहने मात्र से कर का एकत्रीकरण नहीं माना जा सकता बल्कि वह उनके लाभ में कमी या वृद्धि की गयी है जिसके लिये प्रत्यर्थी कम्पनी पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

15. उन्होंने कथन किया कि दिनांक 03.01.2001 से लग्ज़री टैक्स लागू होने पर भी कम्पनी ने व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिये अपने माल की assessable value कम कर विलासिता कर अलग से वसूल करने के बाद भी प्रति बैग कीमत ग्राहकों के लिये वही रखी गयी। उन्होंने कथन किया कि माल की कीमत वसूल करने का मामला ग्राहक एवं कम्पनी के बीच के अनुबंध का मामला है। उन्होंने कथन किया कि **धर्मपाल सत्यपाल बनाम स्टेट ऑफ**

लगातार...............7

राजस्थान की पिटिशन संख्या 3407 / 2001 में माननीय राजस्थान उच्च **न्यायालय में लग्ज़री टैक्स पर दिनांक 07.08.2001** को वसूली पर स्थगन जारी किया गया था तब ग्राहकों ने दिनांक 27.08.2001 तक के बिलों में लगने वाले लग्ज़री टैक्स के लिये क्रेडिट नोट की मांग की थी तब कम्पनी द्वारा क्रेडिट नोट इस शर्त के साथ दिये गये थे कि यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते हैं तो वह पुनः इनसे वसूल की जायेगी एवं इसलिए दिनांक 27.08.2001 तक की राशि राजकोष में जमा होने से ग्राहकों से वह राशि पुनः वसूल की गयी है एवं क्रेडिट नोट को निरस्त कर दिये गये। इस तरह कम्पनी द्वारा अपने माल की बिक्री करने में मूल्य स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने में किसी तरह की गलती नहीं की है बल्कि वह उसका व्यावसायिक अधिकार है कि वह अपने माल की कीमत क्या प्राप्त करती है एवं यदि किसी भी तरह का कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है तो उसकी वसूली पृथक से की जानी आवश्यक होती है एवं इसी क्रम में उनके द्वारा दिनांक 03.01.2001 से माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन नहीं होने से दिनांक 27.08.2001 तक ग्राहकों से कर की वसूली की गयी एवं ऐसा संग्रहित कर राजकोष में जमा करवाया जा चुका है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यही निर्देश दिये थे कि उपभोक्ता एवं ग्राहकों से यदि कोई ''कर'' राशि वसूल की गयी है तो वह राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

16. उन्होंने कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि "If the appellant have collected any amount towards luxury tax from consumers / custumers, they will pay the said amount to the respective state government." जबकि कम्पनी द्वारा कोई विशिष्ठ राशि लग्ज़री टैक्स के रूप में संग्रहित नहीं की गयी है तब उन्हें कोई राशि जमा कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

17. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने यह कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं ने यह माना है कि कम्पनी द्वारा कोई कर अलग से वसूल नहीं किया गया है बल्कि भावों में कमी नहीं करके मात्र उसे लग्ज़री टैक्स की वसूली माना है। उन्होंने कथन किया कि यदि इस अवधारणा से मान लिया जाये तो ऐसी स्थिति में यह होगा कि कम्पनी जो आज तक भी यह व्यवसाय कर रही है उनके द्वारा अपने ग्राहकों से लग्ज़री टैक्स वसूल किया जा रहा है क्योंकि उनके माल के भावों में कोई कमी नहीं की गयी थी। इस तरह कल्पना के आधार पर कर का संग्रहण माना जाना अनुचित एवं न्याय के विरूद्ध है।

लगातार..............8

18. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने मौखिक बहस के दौरान यह भी कथन किया कि कर के कम होने पर उस अनुपात में किसी व्यवसायी को अपने विक्रय मूल्य में कमी करने के कोई प्रावधान राज्य सरकार द्वारा पूर्व में नहीं किये गये थे एवं कोई भी व्यवसायी अपने माल की कीमत अपनी इच्छानुसार वसूल कर सकता है। इस कथन के समर्थन में कथन किया कि हाल ही में लागू किये गये गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GST) में धारा 171 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी वस्तु में कर में कमी की जाती है तो उस अनुरूप व्यवसायी अपने भावों में कमी करेगा परन्तु यदि भाव में कमी नहीं करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु अलग से प्रावधान किये गये हैं। इस तरह केवल भावों में कमी नहीं करने के आधार पर प्राप्त कीमत में deemed कर संग्रहित करने की अवधारणा लिया जाना पूर्णतया गलत है। कथन किया कि कम्पनी द्वारा लग्जरी टैक्स लागू होने के बावजूद भी भावों में बढ़ौतरी नहीं की गयी थी बल्कि कर लगने से पूर्व तथा कर लगाने के बाद तथा स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद भी अपने विक्रय मूल्य में किसी तरह का अन्तर नहीं किया गया जो यह प्रमाणित करते हैं कि सम्पूर्ण व्यवसायिक कार्य में प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा अपने लाभ हानि खाते में ही कमी या वृद्धि की गयी है एवं ग्राहकों पर इसका कोई भार Pass on नहीं किया है।

19. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश में वर्णित उनके द्वारा की गयी बहस एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का पठन करते हुए समस्त स्थिति स्पष्ट होना बताकर राजस्व की अपीलों को अस्वीकार करने का अनुरोध किया एवं यह भी कथन किया कि राजस्व की ओर से एक भी ऐसी त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया है जो अपीलीय आदेश को गलत बता सके।

20. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये समस्त न्यायिक निर्णयों का पुनः उद्धरण करते हुए उनके आलोक में अपीलीय आदेश की पुष्टि करने पर बल दिया।

21. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

22. इन प्रकरणों में विधि सम्बन्धी किसी तरह का कोई विवाद नहीं है एवं ना ही यह विवाद रहा है कि कम्पनी द्वारा कर की वसूली Collection of Tax दिनांक 27.08.2001 के बाद अपने बिलों में की गयी है। इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश दिया गया है वह केवल इस अवधारणा के साथ दिया है कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 27.08.2001 के बाद अपने बिलों

लगातार..............9

में कर की वसूली तो नहीं की है, परन्तु माल के विक्रय मूल्य में कोई कमी नहीं करने से यह अवधारणा की है कि जो पूर्व में माल का विक्रय कर संग्रहित करते हुए किया जा रहा था, वही विक्रय मूल्य ग्राहकों से लिये जाने से कर की वसूली deemed मानी जानी चाहिये परन्तु प्रत्यर्थी कम्पनी की यह दलील अतिमहत्वपूर्ण है कि कम्पनी द्वारा कर लागू होने एवं उद्ग्रहण करने की दिनांक 03.01.2001 के बाद कर लगने के बावजूद भी कर को समाहित करते हुए भी वही विक्रय मूल्य लिये गये हैं जो दिनांक 03.01.2001 के पूर्व थे जिससे कि वह बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके एवं इसके लिये उन्होंने अपने लाभ की राशि को कम करते हुए कम विक्रय मूल्य पर ग्राहकों को माल विक्रय किया गया। ऐसी स्थिति में यह निर्विवादित है कि दिनांक 27.08.2001 के बाद में ग्राहकों से कर के रूप में कोई राशि की वसूली नहीं की गयी है एवं विक्रय मूल्य में भी कमी नहीं की गयी है। यह कहना उचित है कि कम्पनी ने कर लगने पर अपना लाभ कम किया जाना एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात् पुनः पूर्ववर्ती स्थिति अर्थात् दिनांक 03.01.2001 की पूर्ववर्ती स्थिति के अनुसार ही विक्रय मूल्य वसूल करना शुरू किया गया था ऐसी स्थिति में यह अधिक लाभ लिये जाने का मामला भी नहीं था बल्कि वो लाभ को कम किये जाने को रोकते हुए पुनः उसी भाव से माल का विक्रय शुरू किया गया है।

23. इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अध्ययन पर यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा केवलमात्र यही आधार लिया गया है कि दिनांक 28.08.2001 से कर राशि वसूल करना बंद कर दिया था परन्तु ग्राहकों से मूल्य राशि कम नहीं की है फलतः ग्राहकों को फायदा नहीं देने के कारण कर की वसूली को deemed माना जाना चाहिये। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने निर्णय में ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए लग्ज़री टैक्स की राशि का Provision करने का उल्लेख किया है एवं इस Provision किये जाने को भी अपनी अवधारणा के समर्थन में प्रस्तुत किया है, जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण विवेचन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि लग्ज़री टैक्स के विवाद के चलते Accounting नियमों के अनुसार बाद में इसका प्रभाव आने पर उसका Provision किया जाना आवश्यक होता है जो Accounting Standard के अनुसार अनिवार्य है एवं ऐसे बाद में आने वाली liability के विचार में प्रोविजन करने का अर्थ यह नहीं होता है कि वह कर राशि वसूल कर रहे हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी कम्पनी से कर वसूल करने के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय के जिन निर्णयों का हवाला दिया है उनका अध्ययन करने पर पाया कि वे पूरी तरह असंदर्भित निर्णय है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के

लगातार...........10

निर्णय **111 एस.टी.सी. 467** में एक्साईज ड्यूटी के रिफण्ड का मामला अन्तर्वलित था जिसमें व्यवसायी द्वारा एक्साईज ड्यूटी के रिफण्ड का क्लेम किया था परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि एक्साईज ड्यूटी उत्पादित माल के clearance पर चुकाना पड़ता है और वह ग्राहकों से बाद में माल की कीमत में निहित होता है। अतः उनका रिफण्ड का क्लेम योग्य नहीं माना गया था, फलतः उस प्रकरण में कर को संग्रहित करने का कोई प्रकरण नहीं था। इसी तरह **85 एस.टी.सी. 493** एवं **144 एस.टी.सी. 515** भी अपीलार्थी के प्रकरणों में लागू नहीं होते हैं।

24. अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि के कर संग्रहण को नकारने सम्बन्धी जो तर्क दिये थे उनका उल्लेख किया गया है वे पुनः उद्धरित किये जाते हैं :–

i. That the price of goods has been charged in the bill;

ii. That the Excise Duty has been charged on the sale price of the goods mentioned in the bill;

iii. That the price charged for sale of Gutka, shown in the bill, has been credited in the Sales A/c regularly maintained by the Appellant;

iv. That in the return the sales amount shwon in the bill and accounts has been declared before the Assessing authority;

v. That the Luxury Tax has not been charged or collected in the bill or otherwise which is evident from the sale bills issued by the Appellant on or after 28-08-2001;

vi. That the Luxury tax has not been credited by bifurcating the amount of sale and Luxury tax in the accounts and Sale Register;

vii. The the Luxury tax has not been collected from the customers in addition to sale price of goods sold by the Appellant;

viii. That there is no evidence from the side of the customers that they have paid the Luxury Tax against the sale of above goods to the Appellant;

ix. That the amount has neither been collected nor deposited against the above sales.

x. That the Appellant has not filed the claim of the refund as same has not been cellected nor deposited with the government, therefore, the provisions of forfeiture of amount are not applicable;

xi. That the original assessment orders were passed on 24.03.2004 & 28.03.2005 respectively for the period 2001-02 & 2002-03 in which it has been mentioned that the Appellant has not collected the Luxury Tax;

लगातार...........11

xii. That on the alleged sale of Gutka there is no liability of Luxury Tax, hence no tax was payable under the Act;

xiii. That the Appellant has not received the consideration against the Luxury Tax in addition to the sale price mentioned in the bill;

xiv. That the customer's account has not been debited by the Luxury tax at the time of the sale nor afterewards;

xv. That the Luxury Tax A/c has not been credited by the amount of Luxury Tax;

xvi. That the provision for contingent liability for Luxury Tax, shown as per institute of Chartered Accountants' guidclines, has not been recovered from the customers/consumers;

xvii. That the Appellant has paid the Income-Tax on provision made for contingent liability of Luxury Tax which is proved from the computation of Income filed along with the Income Tax Return for the A.Y.2002-03 & 2003-04.

xviii. That the excise duty has been paid on the Assessable Value shown in the bill and no deduction has been claimed for provision for contingent liability of Luxury Tax.

xix. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने State of Mysore & another Vs. Mysore Spinning & Manufacturing Co. Ltd. (11 STC 734) में निर्धारित किया कि "Where the assessee a registered dealer received certain amounts from its constituents merely by way of deposits on the express undertaking that the money would be refunded to the constituents if the assessee was held not liable to include the relevant sales in its taxable turnover, the assessee held the money as a mere custodian and of the fulfillment of the condition because a trustee for the depositors. When once the tax authorities determined that the proceeds of sales were not within the taxable turnover of assessee seizes to have any right to continue to hold money. The fact that the physical control of money passed from the depositors to the assessee did not render the receipt, a collection by way of tax amount U/s 11(2), of the Madras Sales Tax act.".

xx. माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने M/s. Dalmia Cement (Bharat) Ltd. Vs. Dy. Commercial Taxes Officer (73 STC 163) में निर्धारित किया कि "under the circumstances, there is no question of deposit being paid over forthwithh to the government. The moneys have been collected by way of deposit to meet the contingency where the transaction between the petitioners and buyers were held to be liable to tax. The petitioners were answerable for the deposits only to the costomers."

लगातार............12

25. अपीलीय अधिकारी के विवेचन के अलावा यह उल्लेख करना उचित है कि विलासित कर अधिनियम में कर को उद्ग्रहित करने एवं उद्ग्रहित किये गये कर को जब्त किये जाने सम्बन्धी प्रावधानों के लिये इस विलासिता अधिनियम में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को लागू किये जाने के प्रावधान किये हुए हैं। चूंकि विलासिता कर अधिनियम में संग्रहित कर को जब्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है अतः राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 व 1994 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया गया। अधिनियम, 1954 की धारा 14 में यह स्पष्ट किया गया है कि जो कर देय नहीं होता है वह कर उद्ग्रहित नहीं किया जा सकता। साथ ही धारा 63 में अनधिकृत कर के उद्ग्रहण पर शास्ति के प्रावधान किये गये हैं। इन दोनों ही प्रावधानों के अधीन ही विलासिता कर अधिनियम में कार्यवाही की जा सकती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में किसी भी प्रावधान का उल्लेख किये बिना जो आदेश पारित किया गया है वह पूरी तरह विधिविरूद्ध है क्योंकि किसी संग्रहित कर को जब्त कर उसे राजकोष में जमा कराये जाने के आदेश दिये जाने के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 63 के तहत ही कार्यवाही की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीधा एवं स्पष्ट आदेश यह दिया था कि अगर किसी व्यवसायी ने लग्ज़री टैक्स के रूप में Tax collected towards Luxury Tax किया है तो वह राजकोष में जमा करायेगा एवं उसे Retain नहीं करेगा जबकि इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जब तक अर्थात् दिनांक 27.8.2001 तक लग्ज़री टैक्स के रूप में कर वसूल किया है वह जमा कराया जा चुका है एवं 28.08.2001 के बाद लग्ज़री टैक्स के रूप में कोई राशि वसूल नहीं की गई है तब उस राशि पर कर आरोपित कर उसे वसूल करने के आदेश नहीं दिये जा सकते। इस तरह केवल विक्रय मूल्य कम नहीं करने के आधार पर कर की वसूली माना जाना अनुचित एवं अविधिक है।

26. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह तर्क युक्तियुक्त है कि विवादित आदेश वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 में कर निर्धारण अधिकारी ने इसे deemed संग्रहण माना है जिसका आदेश दिनांक 28.04.2006 को किया गया है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिनांक 21.04.2005 में किया गया है। उस स्थिति में दिनांक 28.04.2006 तक जो भी विक्रय किये गये हैं एवं माननीय उच्च्व न्यायालय के आदेश तक सभी तरह की पूरी बिक्री पर लग्ज़री टैक्स ले लिया जा सकता है परन्तु उस समय वर्ष 2003–04 व 2004–05 में तत्कालीन अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं किया गया है एवं उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण–पत्रों के अनुसार ही दिनांक 28.03.2005

लगातार............13

को आदेश पारित किया गया है जो स्वयं यह प्रमाणित करते हैं कि पूर्व के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह का कर संग्रहित माने जाने का कोई आक्षेप नहीं किया गया था।

27. यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.03.2005 को नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2002—03 के लिये कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था, उसमें भी कुल बिक्री राशि वह राशि ली गयी थी जो बिलों के जरिये वसूल की गयी थी अर्थात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की राशि वसूल किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था बल्कि पूरी बिक्री राशि पर कर आरोपण के आदेश किये गये थे क्योंकि तब तक माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश जारी नहीं हुआ था। इससे यह स्पष्ट है कि वर्ष 2001—02 एवं 2002—03 के तत्कालीन अधिकारी द्वारा यह माना गया था कि व्यवसायी द्वारा लग्ज़री टैक्स की वसूली नहीं की गयी है एवं ग्राहकों से वसूल की गई राशि केवल माल के विक्रय मूल्य की राशि है एवं उस राशि पर ही कर की गणना की गयी थी इस तरह तत्कालीन समय में किसी भी तरह का कर वसूल किये जाने का कोई कृत्य नहीं पाया गया था।

28. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच पर पाया कि व्यवसायी द्वारा दिनांक 28.08.2007 तक जारी बिलों में कर राशि ग्राहकों से वसूल की गई थी उस राशि को व्यवहारी ने राजकोष में जमा नहीं करवाया था क्योंकि जमा करवाने की नियत तिथि के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त हो गया था। उस स्थगन की गलत व्याख्या करते हुये व्यवहारी ने संग्रहित कर की राशि को पुनः अपने ग्राहकों को लौटाने के लिये क्रेडिट नोट जारी कर दिये थे जिसे विभाग द्वारा अविधिक माना गया एवं इस तरह संग्रहित कर (Collected Tax) को जमा कराने का आदेश दिया गया परन्तु इसका विरोध करने पर एवं याचिका लम्बित होने से माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर Collcted Tax जमा कराये जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया तब दिनांक 18.12.2001 को Collected Tax जमा करा दिया गया, परन्तु उस समय Collected Tax सम्बन्धी विवाद में उस वक्त एवं उसके पश्चात दिनांक 28.03.2005 को कर निर्धारण आदेश पारित करते वक्त भी विभिन्न कर निर्धारण अधिकारियों ने स्वयं माना था कि व्यवसायी द्वारा दिनांक 28.8.2001 के बाद Tax Collect नहीं किया गया है इसीलिये दिनांक 28.8.2001 तक के Collected Tax की वसूली के लिये कार्यवाही की गयी थी। दिनांक 28.08.2001 के बाद व्यवसायी द्वारा Tax Collect नहीं करने के तथ्य का ज्ञान होने के कारण ही तत्कालीन पदस्थापित अधिकारियों द्वारा उसके बाद कर जमा कराने का

लगातार...........14

निर्देश नहीं दिया गया। यह भी टिप्पणी आवश्यक है कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 28.04.2006 के पूर्व ऐसी कोई जांच भी नहीं की गई है एवं न ही कोई साक्ष्य थे जो व्यवहारी द्वारा Tax Collect किया जाना बता सके। इस तरह दिनांक 28.8.2001 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2005 तक कोई Tax Collect नहीं करने के तथ्यों की वजह से ही कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रति तिमाही कर जमा कराने का निर्देश नहीं दिया गया अर्थात Tax Collect नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि दिनांक 28.08.2001 तक Tax Collect करने के तथ्यों के परिज्ञान में होने से उसकी वसूली उसी समय कर दी गई थी।

29. उपरोक्त विवेचन के आलोक में यह निर्णीत किया जाता है कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा विवादित अवधि में किसी प्रकार का लग्ज़री टैक्स संग्रहित (Collect) नहीं किया गया है। चूंकि इस प्रकरण में विधि का कोई प्रश्न (legal issue) नहीं है बल्कि केवल तथ्यों की जांच का ही विषय था, इसीलिये बिना किसी साक्ष्य या तथ्यों के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की विक्रय राशि में लग्ज़री टैक्स की राशि को deemed मानते हुए आदेश पारित किया था उसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 10.03.2010 की पुष्टि की जाती है।

30. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य